भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2595
दिनांक 04 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

नई औषधियों के अनुसंधान एवं विकास हेतु निधि

2595. श्री रमेश बिन्दः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में नई औषधियों/टीकों के अनुसंधान एवं विकास हेतु आवंटित धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने कच्चे माल के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने हेतु फार्मा उद्योग के लिए कोई रुपरेखा तैयार की है; और
(ग) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क): फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत कई संस्थानों और संगठनों द्वारा किया जाता है, जिनके पास अपने स्वयं के बजटीय प्रावधान होते हैं। औषध विभाग (डीओपी) ने भारत में औषधीय शिक्षा और अनुसंधान में गुणवत्ता और उत्कृष्टता का विकास करने और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में सात राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर) की स्थापना की है। भवन और बुनियादी ढांचे के साथ-साथ अनुसंधान और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अनुदान सहित पिछले तीन वर्षों में नाईपर के लिए आबंटन नीचे तालिका में दिया गया है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के अंतर्गत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) भी अपनी घटक प्रयोगशालाओं के माध्यम से दवा की खोज और विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को आगे बढ़ा रही है। इसके अतिरिक्त, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) के साथ मिलकर नई दवाओं/टीकों के अनुसंधान और विकास के लिए दवा की खोज के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान की है।

इन योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटन इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**डीओपी के अधीन नाईपर**	**डीएसआईआर के अधीन सीएसआईआर**	**डीबीटी के अधीन बीआईआरएसी**
2020-21	रु. 333.82 करोड़	रु. 24.64 करोड़	रु. 64.52 करोड़
2021-22	रु. 372.00 करोड़.	रु. 101.37 करोड़	रु. 62.57 करोड़
2022-23	रु. 451.13 करोड़.	रु. 74.79 करोड़	रु. 46.34 करोड़

वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने दुर्लभ/ ऑर्फन विकारों की रोकथाम के लिए चिकित्सीय कार्यनीतियों के विकास के लिए कदम उठाए हैं, जिसके लिए रु.8.56 करोड़ चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) और (ग): सरकार ने वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2029-30 तक के कार्यकाल के लिए 6,940 करोड़ रुपये वित्तीय परिव्यय के साथ भारत में महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/औषध मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय औषध सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त, तीन बल्क ड्रग्स पार्कों में साझा अवसंरचना सुविधाएं (सीआईएफ) स्थापित करने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के कार्यकाल के लिए 3,000 करोड़ रुपये तक, प्रत्येक पार्क के लिए 1,000 करोड़ रुपये, की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ।

*****